प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 01.09.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी NBW के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या-24, प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW के अनुपालन में क्रिमिनल केस संख्या 4624/2021 राज्य बनाम हिसामुद्दीन एवं मु0अ0सं0-118/1999, धारा 420/409/467/468 भा0द0वि0 से संबंधित वारण्टी अभियुक्त दिलसाद अहमद पुत्र मो0 इब्राहिम, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासी ग्राम सुजौली, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-दिलसाद अहमद पुत्र मो0 इब्राहिम, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासी ग्राम सुजौली, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 दीपक दूबे, रि0का0 कुलदीप पटेल, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 NBW/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जमुना प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र छंगू हरिजन, निवासी ग्राम शेखूपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय ACJM-13, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट मु0नं0 1714020/04, वाद अ0सं0 151/04, धारा 434/447/504/506 भा0द0वि0, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में जारी था अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट एवं कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जमुना प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र छंगू हरिजन, निवासी ग्राम शेखूपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ यादव मय कां0 राजू गौड़, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 01 बकरी एवं बिक्री से प्राप्त ₹2,000/- बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 197/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त शहबाज पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी कटरा मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को दिनांक 31.08.2026 को बिटियन मेला ग्राउण्ड गेट से करीब 200 मीटर अन्दर गनेहरू बाग की तरफ जाने वाले रास्ते, बहद ग्राम चौकापारपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद काली रंग की बकरी तथा जामा तलाशी से चोरी की बकरियों की बिक्री से प्राप्त ₹2,000/- बरामद किए गए। बरामद बकरी की वादिनी द्वारा पहचान किए जाने के उपरान्त उसे सुपुर्द किया गया। विवेचना एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.08.2026 को थाना मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम पूरे अली नकी से वादिनी राबिया पत्नी बल्लू एवं अन्य व्यक्तियों की कुल 07 बकरियां चोरी किए जाने के संबंध में थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त शहबाज एवं उसके साथी राजू सोनकर उर्फ सऊदी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शहबाज को चोरी की एक बकरी के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथी राजू सोनकर उर्फ सऊदी के साथ मिलकर बकरियां चोरी करने तथा चोरी की बकरियों में से 03 बकरियां बेचने की बात बताई गई। अभियुक्त के कब्जे से बिक्री से प्राप्त ₹2,000/- भी बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-शहबाज पुत्र अब्दुल सलाम, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी कटरा मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
1- 01 अदद चोरी की बकरी, काले रंग की।
2- ₹2,000/- नगद, चोरी की बकरियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय का0 मनोज यादव, का0 राजेश पाल एवं का0 आर्यन कुमार, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 08 अदद देशी बम, 02 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट एवं 01 अदद डीसीएम बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना लालगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम जंगलीबीर बाबा से करीब जंगल के पास से बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों 1. सूरज गौतम पुत्र श्रीराम गौतम, निवासी ग्राम गौरीपट्टी, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष एवं 2. मुकेश कुमार सरोज पुत्र राजकुमार सरोज, निवासी ग्राम लवली मोती का पुरवा, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 08 अदद देशी सुतली बम, 02 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट तथा 01 अदद डीसीएम बरामद की गई। बरामदगी के

आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 343/2026 धारा 313, 336(2), 338, 340(2) बीएनएस एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- सूरज गौतम पुत्र श्रीराम गौतम, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम गौरीपट्टी, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

2- मुकेश कुमार सरोज पुत्र राजकुमार सरोज, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम लवली मोती का पुरवा, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित रूप से पशु चोरी कर डीसीएम में लादकर अलग-अलग जिलों की पशु बाजारों में बेचने तथा डीसीएम पर अलग-अलग नम्बर प्लेट लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात प्रकाश में आई है। पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी का विवरण-

1- 08 अदद देशी सुतली बम।

2- 02 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट — UP72BT9852 एवं UP72BT9662।

3- 01 अदद डीसीएम, सही नम्बर UP72BT9652।

4- 02 अदद मोबाइल फोन — 01 अदद वीवो एंड्रायड मोबाइल फोन एवं 01 अदद नोकिया की-पैड मोबाइल फोन।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राम नरेश, उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय का0 राहुल यादव, का0 राहुल कुमार, रि0का0 शिवम सिंह, रि0का0 शेख मो0 साहिद एवं चालक रि0का0 विकास सिंह, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा

अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शिवकुमार उर्फ दिलीप पुत्र जयभीम, निवासी रूम नं0 01 अपर इन्दानगर, विववेवाणी पुलिस चौकी, थाना परास, जनपद पुणे, महाराष्ट्र, उम्र करीब 29 वर्ष को अठेहा से मंगापुर जाने वाली रोड पर सोनू भदौरिया के घर के पास बनी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शिवकुमार उर्फ दिलीप पुत्र जयभीम, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी रूम नं0 01 अपर इन्दानगर, विववेवाणी पुलिस चौकी, थाना परास, जनपद पुणे, महाराष्ट्र।

पुलिस टीम-
उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय का0 अनिल कुमार एवं का0 विक्रान्त कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।